संख्या 4895/26-3-81-7(21)-80

प्राथमिकता

प्रेषक

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 26 मई, 1981

विषय:—प्रदेश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को विभिन्न बैंकेबल योजनाओं में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुमन्य अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण दिया जाना।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर विस्तृत आदेश शा0संख्या 2380/26-3-80-7(21)-80, दिनांक 10 सितम्बर, 1980 में जारी किये गये थे जो "अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 1980-81" नामक पुस्तिका के पृष्ठ 53-54 पर सर्वसाधारण की सूचना एवं मार्ग निर्देशन के लिये छाप दिया गया है। उपरोक्त आदेश जारी होने के उपरांत आई0आर0डी0 योजना समस्त विकास खण्डों में लागू कर दी गई है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान प्रदेश के 82 चयनित विकास खण्डों में सघनीकृत रूप से और शेष विकास खण्डों में सामान्य रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जातियों के गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की भी समस्यायें उभर कर सामने आई हैं। इन सबके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 तथा कतिपय जिलाधिकारियों एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) से कुछ जिज्ञासायें और सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर शासन ने सम्यक् विचार करके उपरोक्त शासनादेश में स्वीकृत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्ग निर्देशन सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं:—

(1) निगम द्वारा आई0आर0डी0 के अन्तर्गत निर्धारित उन सभी योजनाओं में अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण की सुविधा संदर्भित शासनादेश में निर्धारित सीमा तथा शर्तों के अधीन दी जा सकती है जिसमें कोई भी बैंक संस्थागत वित्त प्रदान कर रहा हो। तदनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों की वित्त पोषित योजनाओं में भी निगम द्वारा सहयोग दिया जा सकता है।

(2) खादी बोर्ड की वित्त पोषित योजनाओं में भी निगम अनुसूचित जाति के ऋण गृहीता को केवल इतना अनुदान दे सकता है जो खादी बोर्ड द्वारा अनुमन्य अनुदान को मिलाकर योजना की लागत के 25 प्रतिशत अथवा रु0 3,000 जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(3) किसी भी ऐसी योजना में निगम आर्थिक सहायता नहीं दे सकता जो बैंक ऋण से असम्बद्ध हो अथवा जो उद्योग विभाग अथवा किसी जिला परिषद् अथवा उत्तर प्रेश वित्त निगम आदि से वित्त पोषित हो। कानून अभियन्त्रण तथा मेडेसिन के स्नातकों को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये अनुदान भी बैंक ऋण से सम्बद्ध होने पर ही देय है।

(4) अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य है परन्तु वे अभी इस योजना की चयनित सूची में नहीं आ पाये हैं, उन्हें भी निगम द्वारा निम्नवत् आर्थिक सहायता दी जा सकती है:—

श्रेणी	अनुदान
(क) लघु-कृषक (5 एकड़ तक की जोत वाला)	25 प्रतिशत
(ख) सीमान्त कृषक (2.5 एकड़ तक की जोत वाला)	33,1/3 प्रतिशत
(ग) कृषक मजदूर तथा गैर-कृषक मजदूर	33,1/3 प्रतिशत

यह स्मरणीय है कि प्रत्येक लाभार्थी के लिये अनुदान की सीमा 3,000 रु0 है और इसे 5,000 रु0 तक का मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा इस प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है कि अनुदान और मार्जिन मनी ऋण मिलाकर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(5) उपरोक्त मद (4) के निदेश शहरी क्षेत्रों में भी इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि अनुदान समान रूप से योजना की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 3,000 रु0 जो भी कम हो, तक ही सीमित रहेगा। मार्जिन मनी ऋण की सीमा भी 25 प्रतिशत रहेगी।

(6) शहरी क्षेत्रों में भी अनुदान और मार्जिन मनी ऋण की सहायता उन्हीं संस्थागत वित्त पोषित योजनाओं में ही दी जायगी जो आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत अनुमन्य हैं। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान समस्त मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारियों को सम्बोधित ग्राम्य विकास अनुभाग–3 के शा0 संख्या 78/38–3–81, दिनांक 3 जनवरी, 1981 की ओर आकर्षित है जिसमें निम्नलिखित उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की गई है:—

(क) पशु-पालन, कुक्कुट-पालन, मत्स्य पालन तथा मौन-पालन;

(ख) साग, सब्जी, मसाले, औषधि, वनस्पति तथा तिलहन की फसलों और शीघ्र पकने वाले फलों की खेती;

(ग) हथकरघा उद्योग, दरी-कम्बल, कालीन-निवाड़ की बुनाई, सुतली, फुट कुशन;

(घ) पेंट-ब्रुश बनाना तथा घरेलू-वायरिंग;

(ङ) बिजली के उपकरणों, साइकिल, रिक्शा अथवा मोटर साइकिल की मरम्मत;

(च) कपड़े धोने का साबुन, दियासलाई, स्याही अथवा फिनाइल बनाना;

(छ) सिलाई, बुनाई, रेडी-मेड वस्त्र, चिकिन, जरी अथवा बनारसी साड़ी बनाना;

(ज) रेशम उद्योग,

(झ) छाता, सिलाई-मशीन, पंखे आदि की एसेम्बली अथवा मरम्मत;

(ट) फाइबर-ग्लास अथवा प्लास्टिक के उपभोक्ता सामान;

(ठ) लेदर-क्लाथ अथवा चमड़े का सामान अटेची-जूते, चप्पल;

(ड) टिन के सामान, ताला, धातु के बर्तन, हाथ से बना कागज, पेपर-मैशी;

(ढ) पत्थर कटाई, गिट्टी निर्माण;

(ण) बेंत अथवा बांस की वस्तुएं, काष्ठ उद्योग, कृषि उपकरण;

(त) साइकिल रिक्शा, खड़खड़ा, डनलप कार्ट;

(7) उपरोक्त मद (4), (5) और (6) के अन्तर्गत अनुदान और मार्जिन मनी ऋण लाभार्थियों को स्वीकृत करने का अधिकारी अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) जो निगम का पदेन जिला प्रबन्धक है, को ही होगा।

(8) शहरी क्षेत्र के प्रत्येक लाभार्थी द्वारा उसके अनुसूचित जाति के होने का निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र तथा उसकी वर्तमान आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त प्रयोजन हेतु खण्ड विकास अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर्याप्त समझे जायेंगे। जिन विकास खंडों में सर्वेक्षण हो चुका है वहां सर्वेक्षित परिवारों की सूची में अंकित आय तथा जाति के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

2—जैसा कि आपको विदित है अनुसूचित जातियों के त्वरित गति से सर्वांगीण विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान राज्य योजना परिव्यय तथा भारत सरकार की विशेष सहायता से चलाई जा रही है। माननीय प्रधान मन्त्री के यह स्पष्ट आदेश है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश के कम से कम 25 लाख परिवारों को लाभान्वित करना है जिसका वार्षिक औसत 5 लाख परिवार आता है। परन्तु अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1980–81 में केवल 1,56,769 परिवार लाभान्वित हो सके हैं। विगत वर्ष केवल अनुसूचित जातियों के लाभार्थ अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रु0 706 लाख कृषि उत्पादन योजना के अन्तर्गत खाद, बीज आदि वितरण हेतु रु0 101 लाख तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वितरण हेतु 1,086 लाख का आवंटन किया गया था। परन्तु उपरोक्त रु0 1,893 लाख में से केवल रु0 678 लाख का उपयोग हो पाया। चालू वित्तीय वर्ष में रु0 486 लाख अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के निस्तारण पर रखे जा चुके हैं और रु0 125 लाख अन्त्योदय योजना के लिये दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग रु0 1,200 लाख की स्वीकृतियां विचाराधीन है। सारांश में इस वर्ष लगभग रु0 3,000 लाख का उपयोग करके लगभग 8,50,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

3—अतः अनुरोध है कि आप विशेष रुचि लेकर इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम अभी से निर्धारित करलें जिसमें जिलाधिकास अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) तथा विकास विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से अंकित कर उनके लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाये। यह भी आवश्यक है कि आप प्रत्येक मास की बैठक में प्रगति की समीक्षा करें और जिस किसी अधिकारी के कार्य-कलाप असन्तोषजनक पाये जायें उनके विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जाये। शा0 संख्या 5064/26-3-80–11–(16)/80, दिनांक 7 अक्टूबर, 1980 की अपेक्षानुसार प्रगति का मासिक अर्द्धशासकीय पत्र पूर्ण

सूचना सहित नियमित रूप से मण्डलायुक्तों को प्रेषित किया जाय। सभी अधिकारियों को अभी से सचेत कर दिया जाय कि उनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन में दिये गये योगदान की विशेष प्रशंसात्मक अथवा भर्त्सनात्मक, जैसी भी दशा हो, प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजिकाओं में की जायगी।

4—कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

संख्या—4895(1)/26-3—81-7(21)—81, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) विकास आयुक्त, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) निदेशक पशुधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
(7) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) ममस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
(9) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।